

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN:- U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

E-mail:- hr@ptcul.org

दूरभाष नं० 0135-2645249 फ़ैक्स नं० 0135-2645249 वैबसाइट www.ptcul.org

पत्रांक: १४१/मा०सं०एवंप्र०अनु०/पिटकुल/जी-4

दिनांक: 15.06.2024

विषय:-General Elections to the House of the People (Lok Sabha), 2024 and State Legislative Assemblies in the States of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha and Sikkim, and certain bye-election-Lifting of Model Code of Conduct-reg.

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता
पिटकुल, देहरादून।

कृपया उपरोक्त विषयक शासन की ई-मेल दिनांक 11.06.2024 के माध्यम से अग्रसारित अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 3235/XXV-07/2024 देहरादून दिनांक 06.06.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वरिष्ठ प्रमुख सचिव, मा० भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 437/6/1/ECI/INST/FUNCT/MCC/2024 दिनांक 06.06.2024 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये अवगत कराया गया है कि निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात दिनांक 06 जून, 2024 को आदर्श आचार संहिता निष्प्रभावी हो गयी है।

अतः मा० निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के उक्त पत्र की छायाप्रति आपको इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया पत्र में दिये गये निर्देशों का स्वयं तथा अपने अधीनस्थों से अवश्यमेव नैष्ठिक अनुपालन करवाने का कष्ट करें।

सलग्नक:-यथोपरि।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा०सं०)(औ०)

पत्रांक: /मा०सं०एवंप्र०अनु०/पिटकुल/जी-4 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव/डा०ए०आ०-निदेशक (मा०सं०)/(वित्त)/(परिचालन)/(परियोजना), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, सूचना प्रौद्योगिकी, पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित पत्र को संलग्नकों सहित पिटकुल की वैबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा०सं०)(औ०)

rediffmail

Mailbox of md.ptcul

No. 1637.../MD/PTCULI... Dt. 11/6/24

DIP/Dco
AU CE's (L-1/2) &
AU SE's. Egmah

11/10/24

Subject: आदर्श आचार संहिता के सम्बन्ध में।

From: Energy Deptt. <energy.section1@gmail.com> on Tue, 11 Jun 2024 13:22:34

To: MD UJVNL <mdujvnl@ujvnl.com>, md@upcl.org, md@ptcul.org, CPO UREDA HQ <cpo.uredahq@gmail.com>, Adm UREDA HQ <adm.uredahq@gmail.com>, E I <ei_uttarakhand@yahoo.com>, Neeraj Sati <secy.uerc@gov.in>

1 attachment(s) - Image_171.pdf (706.66KB)

प्रमुख निदेशक
विद्युत, देहरादून

Please find the attachment and do the needful.

Mr. Neeraj
for circulation
for
13/6

Regards,
(Arvinder Singh)
Section Officer,
Energy Section-01,
Government of Uttarakhand.

(Mobile No. 9927699078)

HR/Admin./PTCUL/D.Dur
Diary No. 1041
File
Date 13/6/24

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

I/216314/2024

विश्वकर्मा भवन प्रथम तल, 4 सुभाष रोड सचिवालय परिसर, देहरादून-248001

email id election09@gmail.com फोन नं 0 (0135) - 2713760, 2713551 फेक्स नं 0 (0135) -2713724

संख्या: 3235 /XXV-07/2024 देहरादून दिनांक 06 जून, 2024

सेवा में,

- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
- पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
- मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
- समस्त जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विषय : General Elections to House of the People (Lok Sabha), 2024 and State Legislative Assemblies in the States of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha and Sikkim, and certain bye-elections-Lifting of Model Code of Conduct-reg.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 437/6/1/ECI/INST/FUNCT/MCC/2024 दिनांक 06 जून, 2024 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के संबंध में लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 हेतु भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट संख्या-ECI/PN/23/2024 दिनांक 16 मार्च, 2024 के द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी थी। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार समस्त सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसरों द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के मतगणना परिणाम घोषित किये गये जाने के फलस्वरूप आयोग द्वारा अपने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 06 जून, 2024 के माध्यम से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात दिनांक 06 जून, 2024 को आदर्श आचार संहिता निष्प्रभावी हो गयी है।

अतः आयोग के उक्त दिशा-निर्देशों से अपने अधीनस्थ समस्त विभाग/कार्यालयों आदि को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि।

A.S. (Energy 01,02); Labour, Planning
Signed by Vijay Kumar Jogdande
Date: 06-06-2024 19:28:46

(डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

संख्या-3235 /XXV-07/2024 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को आयोग के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 06 जून, 2024 की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना सभी सम्बन्धितों के संज्ञानार्थ प्रेस नोट के माध्यम से प्रिन्ट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से निःशुल्क प्रकाशित/प्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

J.S (E) 736/AS/E/24

(डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

10/06/2024
(रंजना राजगुरु)
अपर सचिव
विद्युत वीर शिवालय
उत्तराखण्ड शासन

SO-E (1)
10-6-24
(विक्रम सिंह राणा)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग

By Speed Post

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

No.437/6/1/ECI/INST/FUNCT/MCC/2024

Dated: 6th June, 2024

To

1. The Cabinet Secretary,
Government of India,
Rashtrapati Bhawan,
New Delhi.
2. The Chief Secretaries of
all States/Union Territories.
3. The Chief Electoral Officers of
all States/Union Territories.

Subject:- General Elections to House of the People (Lok Sabha), 2024 and State Legislative Assemblies in the States of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha and Sikkim, and certain bye-elections- Lifting of Model Code of Conduct reg.


Madam/Sir,

I am directed to state that the provisions of Model Code of Conduct are enforced from the date of announcement of the election schedule by the Election Commission and it remains in operation till the completion of the election process.

2. Now, that the results in respect of the General Elections to the House of the People (Lok Sabha), 2024 and State Legislative Assemblies in the States of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha and Sikkim, and certain bye-elections have been declared by the respective Returning Officers, the Model Code of Conduct has ceased to be in operation with immediate effect except in the Graduates' and Teachers' Constituencies of Karnataka, Maharashtra and Telangana where Model Code of Conduct is in force due to biennial/bye elections to Legislative Council from Graduates & Teachers Constituencies.

3. This may be brought to notice of all concerned.

Yours faithfully


(NARENDRA N. BUTOLIA)
SR. PRINCIPAL SECRETARY